छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा नवम् सत्र अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 अगस्त, 2016

(श्रावण 31, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री पुरीराम चौहान, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव एवं श्रीमती केराबाई मनहर, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.08 बजे स्थगित होकर 11.15 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 22 अगस्त, 2016 में लिए गए निर्णय अनुसार संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन संबंधी संकल्प पर चर्चा हेतु 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के संबंध में लोक सभा की कार्यवाही, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में विधेयक तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त लोक सभा सचिवालय का सूचना पत्र **पटल पर रखा।**

5.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

6. संकल्प

यह कि यह सदन, भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो, संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के (ख) एवं (ग) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित है।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

7. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज श्री रामविचार नेताम, संसद सदस्य एवं श्रीमती छाया वर्मा, संसद सदस्य अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

8. संकल्प (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, देवजी भाई पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री धनेन्द्र साहू, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल,

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति में इस विषय पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया गया था। अभी केवल 6 लोगों ने बोला है, 3 घंटे हो गये हैं और 18 लोगों का बोलना बाकी है। अत: बाकी वक्ता जिस विषय पर चर्चा हो चुकी हो जो बात सदन में आ चुकी है उसे रिपीट नहीं करते हुए संक्षिप्त में अपनी बात को रखें।

श्री लाभचंद बाफना-संसदीय सचिव, श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, श्री अमरजीत भगत, श्री बृजमोहन अग्रवाल-कृषि मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, अमित अजीत जोगी, श्रीचंद सुंदरानी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय-राजस्व मंत्री, श्री मोतीलाल देवांगन-सदस्य,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष,

डॉ. रमन सिंह-मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 5 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

9. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री संतोष बाफना, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा, डॉ0 विमल चोपड़ा द्वारा महासमुंद जिले के जिलाधीश श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार झा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री ओंकार यदु एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27.11.2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

10. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

माननीय सदस्यगण छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा के एक दिवसीय नवम् सत्र के समापन अवसर पर मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, एवं आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जब अल्प सूचना पर सत्र आहूत हुआ। जैसा कि आपको विदित है कि बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रक्रिया के निर्धारण के तारतम्य में आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत संकल्प को पारित करने हेतु यह विशेष सत्र आहूत किया गया। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि पक्ष-विपक्ष के आप माननीय सदस्यगणों ने वस्तु एवं सेवा कर के विषय में सम्यक और सारगर्भित चर्चा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्पन्न हुई चर्चा से प्राप्त निष्कर्ष भविष्य में एक राष्ट्र, एक कर प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने में सहायक सिद्ध होगी।

मुझे इस बात की भी हार्दिक प्रसन्नता है कि सदन में जीएसटी के विषय में आप माननीय सदस्यों ने जिस ढ़ंग से अपने विचार रखें, यह आपके विषय पर अध्ययन और संसदीय दायित्वों की पूर्ति के प्रति आपकी वचनबद्धता को परिभाषित करता है। मैं यह कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा का संसदीय सौहार्द्र और संसदीय संस्कृति को संवर्धित करने में आप सतत् रूप से अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में निरन्तर सफल होते रहे।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि भविष्य में सक्षम और समृद्ध भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा । राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक नीतियों से हम सुदृढ़ हों अपितु हमारी अर्थनीति से वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान बने और इसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में केन्द्र सरकार का यह दूरदृष्टि प्रयास है।

जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर पर केन्द्रित इस विशेष सत्र के समापन अवसर पर एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया को

पूर्ण कर जब जीएसटी बिल कार्यरूप में अधिनियमित होगा तो इससे कर प्रणाली आसान होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा तथा उद्योग एवं उद्यमियों को कर अनुपालन में आसान होगा। सामान्य धारणा यह भी है कि उपभोक्ताओं के लिये भी वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिक कुशल वितरण से कीमतों को कम करने की संभावनाएं भी बढ़ जायेगी ।

जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के विषय में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र शासन, अर्थशास्त्री, एवं उद्योग जगत ही नहीं वरन् देश का जनमानस भी संपूर्ण भारत में इस नई कर व्यवस्था को देश के आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य अनुभव करने लगा है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मत भिन्नता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा ने लोककल्याण के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पक्ष-प्रतिपक्ष की भावना से ऊपर उठकर संसदीय मूल्यों को जो सुदृढ़ता प्रदान की है वह संसदीय व्यवस्था में विश्वास रखने वालों के लिये मार्गदर्शी है। आज आपने जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन के संकल्प पर विस्तार से सारगर्भित चर्चा कर सर्वसम्मति से पारित कर इस तथ्य को भी स्थापित किया है कि लोककल्याण और राष्ट्रहित से संबद्ध प्रत्येक विषय पर हम अपने विचारों को व्यक्त करके भी राष्ट्र हित या प्रदेश हित में एकमत है। आपके इस उच्च संसदीय संस्कारों की मैं मुक्त कंठ से सराहना करता हूं।

यह उल्लेखनीय है कि इस एक दिवसीय सत्र में संपन्न बैठक में कुल 6 घंटे 50 मिनट कार्यवाही हुई जिसमें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत संकल्प पर 6 घण्टे 23 मिनट चर्चा हुई।

विशेष सत्र के समापन अवसर पर पत्रकार बंधुओं को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने जीएसटी के विषय में समग्र प्रमाणिक जानकारियों को निरंतर रूप से आमजनों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया । इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्रिगण, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्यों सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिये धन्यवाद देता हूं।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से

परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा।

इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित सहयोग से ही अल्प सूचना पर आहूत इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

इस अवसर पर मैं आवाहन करना चाहता हूं कि आइए ! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृंद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

धन्यवाद !

जय - हिन्द ! जय - भारत ! जय - छत्तीसगढ़ !

11. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

सायं 5.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा